समाचार–प्रकाशनार्थ :–

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली टी.एल. बैठक

रतलाम 15 दिसम्बर । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के विभाग प्रमुखों की साप्ताहिक टी.एल. बैठक लेकर कार्यो की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने टी.एल. शिकायतों की समीक्षा कर शिकायतों का निराकरण 7 दिवस में ऑन लाईन कराये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये साथ ही सी0एम0 हेल्प लाईन में दर्ज ग्रेडिंग की शिकायतों का 3 दिवस में निराकरण करवाये जाने के भी निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सी.एम. हेल्प लाईन की शिकायतों का निराकरण एल–1 स्तर पर ही किये जाने के निर्देश बैठक में दिये शिकायत उच्च स्तर पर दर्ज ना हो सकें। इसके अलावा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का 3 दिवस में निराकरण किये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये।

इसके अलावा विभिन्न आयोग, पी.एम., सी.एम. कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण करवाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबंधित को निर्देशित किया साथ ही नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालते है डस्टबीन नहीं रखते है उन पर जुर्माना किये जाने साथ ही खुले में शौच व पेशाब करने, नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालो पर जुर्माना किये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, श्रीमती नीता जैन, प्र0 कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी कर्मशाला व प्रकाश विभाग श्री एम0के0 जैन, प्रभारी सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, प्रभारी जलप्रदाय विभाग श्री सत्यप्रकाश आचार्य, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, प्रभारी उद्यान विभाग श्री अरविन्द दशोत्तर, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपिल मारोठिया, श्री नितिन तिवारी आदि उपस्थित थे।

नवविवाहित दंपति ने लिया स्वच्छ और सुंदर रतलाम का संकल्प

स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 के तहत शहर के सैकड़ों कचरा मुक्त स्थलों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का दिया जा रहा है संदेश

रतलाम 15 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर–1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त किया जा रहा है। इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मित्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। मंगलवार को शहर के हनुमान ताल के आसपास से हटाए गए कचरा स्थालों पर रांगोली का निर्माण किया गया और वहां मौजूद अनेक लोगों के साथ ही नवविवाहित दंपति ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया है।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम– सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान, मेरी शान, स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर–1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान मंगलवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने हनुमान ताल सहित आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड–19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 15 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां–वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी

फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी, मलबा फैलाने व अतिक्रमण करने पर विनोद पड़ियार जवाहर नगर व राजमाता चन्द्रकुवंर धर्मशाला नजरबाग पर 5000–5000, अमजद सैलाना रोड पर 250, सैलाना रोड क्षेत्र में 5 सब्जी विक्रेताओं द्वारा गंदगी करने पर 100–100 रूपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित मालियों को कारण बताओ सूचना–पत्र

रतलाम 15 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 15 दिसम्बर मंगलवार को कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित अमर–मोहन व अंसार–अकबर अली माली का वेतन काटे जाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 15 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों

के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

पैलेस रोड पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 38,70,373/— संपत्तिकर व 11,51,875/— जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 15 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड—19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग—धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू—भाटक की बकाया राशि एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,224/— व जलकर 43,460/—, मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,66,429/— व जलकर 43,830/—, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2,69,336/— व जलकर 41,850/—, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3,94,652/— व जलकर 1,06,050/—, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4,54,616/— व जलकर 84,000/—, तिरूपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55,700/— व जलकर 14,800/—, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65,133/— व जलकर 18,430/—, इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1,04,310/— व जलकर 37,520/—, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,63,070/— व जलकर 41,200/—, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54,244/— व जलकर 31,700/—, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,87,800/— व जलकर 13,500/—, हाट रोड माताजी मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 89,439/— व जलकर 29,500/—, डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,23,843/— व जलकर 80,000/—, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 78,232/— व जलकर 24,800/—, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 95,424/— व जलकर 46,350/—, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 2,61,000/— व जलकर 45,500/—, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 2,58,000/— व जलकर 90,310/—, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,39,000/— व जलकर 1,58,845/—, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 94,633/— व जलकर 24,500/—, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,31,093/— व जलकर 68,580/—, महावीर नगर शिविर में जलकर 45,550/—, पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 1,65,120/— व जलकर 68,600/— की एक मुश्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 38,70,373/— संपत्तिकर व 11,51,875/— जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के तहत वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को शास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुश्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार शिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे शिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/– (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) से 50,000/– (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

54 दिनों में 85 वॉल्व व 397 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 15 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 15 दिसम्बर तक 85 वॉल्व व 397 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

''रतलाम जलशक्ति अभियान'' व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 15 दिसम्बर मंगलवार को शास्त्री नगर गंगोत्री अपार्टमेन्ट के सामने, शास्त्री नगर वाईन शॉप के सामने, गणेश देवरी काली हवेली के सामने, सेठजी का बाजार उपासरे के पास, रामबाग, इन्द्रलोक नगर, इद्रा नगर मेन रोड व शांति नगर टंकी के पास पाईप लाईन लीकेज मरम्मत के साथ ही गोमदड़े की पुल के पास, कस्तुरबा नगर मुख्य्र मार्ग, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास, गौशाला चौराहा व रत्नेश्वर रोड के वॉल्व की मरम्मत करवाई गई।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर से पकड़े 7 मवेशी

स्वच्छंद विचरण करने वाले 407 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 15 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक 407 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर क्रय किया गया है, नवीन हाईड्रोलिक कैटल कैचर से मवेशियों को पकड़ने में सुविधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते है तथा उन्हे किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 15 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 407 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 15 दिसम्बर मंगलवार को गांधी नगर, जवाहर नगर, विनोबा नगर, इन्द्रा नगर से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी

किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/— वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/15.12.2020/न.पा.निगम, रतलाम.